THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Foreign Exchange earnings from export of consultancy services.

(in Rs. crores)

Year		Foreign Exchange Earned
1992-93	1700	831
1993-94		1369
1994-95		(Estimated)

Source: FIEO

The above figures indicate a steady rise in export of consultancy services.

(d) and (e) A Global Preparatory Meeting for the Consultation of Consultancy Enginering Services was organised by the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) at Geneva from June 20-22, 1994. The meeting recommended measures to ameliorate constraints in the development of consulting engineering services in developing countries, through national governments, national consultncy promotion agencies, and international bodies. The recommendations pertained to regulation of consulting engineering services at national level, skill upgradation of consultants, acceptance of local consultants ai lead consultants and their greater participation in multilateral funded projects, • and encouraging local consultants in technology transfer as well as their interaction with R&D organisations.

(f) The recommendations of the meeting appear to be relevant and useful for the development of consultancy capabilities at national level for domestic as well as export markets, and will be implemented to the extent possible by the Government. Strong consultancy capabilities will help in accelerating our technological and industrial development.

निर्यात प्रसंस्करण जोन

*118.**श्री राम जेठमलानी**:

श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक स्थानों पर निर्यात प्रसंस्करण जोन्स (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों) की स्थापना की गई हैं ;

(ख) यदि हां,तो देश में ऐसे कुल कितने जोनों की स्थापना की गई हैं तथा इन जोनों में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं;

(ग) क्या देश से निर्यात बढ़ाने के लिए इन इकाइयों को अनेक सुविधाएं दी गई हैं;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ड़) क्या यह भी सच हैं कि इन सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा वर्ष 1994-95 में 820 करोड़ रूपये के लगभग विदेशी मुद्रा अर्जित की गई हैं जो देश के कुल निर्यात का केवल 3.2 प्रतिशत ही हैं;और

(च) यदि नहीं,तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम): (क) जी,हां।

(ख) सरकार ने अभी तक ज्ञात निर्यात प्रसंस्करण जोनों(ई पी जेडल) की स्थापना की हैं तथा इन जोनों में 502 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं;

(ग) और (घ) ई.पी.जेडल की इकाइयों को दिए गए मुख्य प्रोत्साहनों में शामिल हैं-पूंजीगत माल,कच्चे माल, उपभोज्य वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुरजों का शुल्क मुक्त आयात,देश के अन्दर खरीदी गई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से छूट तथा पांच वर्षो के लिए निगम कर से छूट।

(ड़) और (च) ई पी जेडल में स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा 1994-95 के दौरान 2653.11 करोड़ रू. का निर्यात किया गया जो देश से किए गए कुल निर्यात का 3.22% बैठता हैं।

Employment Assurance Scheme

*119. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have prepared any action plan for the implementation of Employment Assurance Scheme

formulated under the Central Plan 1995-96 in the country;

(b) if so, the State-wise details thereof; and

(c) how the scheme is going to be implemented in Madhya Pradesh and what are the Block-wise details of the employment generated?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (c) According to the information furnished by the Ministry of Rural Areas and Employment, Employment Assurance Scheme has been formulated to provide assured employment for 100 days of unskilled manual work to the rural poor who are in need of employment and seeking it. Central and State assistance under the scheme is directly released to District Rural Development Agencies. Block-wise action plans are prepared and implemented after approval by the Deputy Commissioner concerned.

Central assistance under the scheme is released in two or more instalments as per demand. However, the first instalment under the scheme has been released to the States. State-wise details are at Annexure *See* [Appendix 174, Annexure No-24]

The scheme is being implemented in 297 blocks of 37 districts in Madhya Pradesh. The scheme will be implemented in accordance with the guidelines laid down by the Government of India.

खाद्यान्नों की आवश्यकता

*120. **श्री राजजीलाल**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए,देश में इस वर्ष खाद्यान्नों की आवश्यकता और उत्पादन के बारे में क्या अनुमान लगाया हैं;

(ख) सन् 2000 तक देश में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी और देश की उत्पादन क्षमता को देखते हुए सरकार खाद्यान्नों की कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती हैं ;

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों का आयात करेगी अथवा देश की खेती योग्य भूमि को अधिक उपजाऊ बनाएगी ताकि उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया जा सकें;और

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) इस समय बीज,पशु-चारे की आवश्यकताओं और बर्बादी की हिसाब में लेकर देश में कुल 182.27 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होने का अनुमान हैं । इसके प्रति 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 189.77 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान हैं ।

(ख) से (घ) सन् 2000 ईस्वी तक खाद्यान्नों की मांग 2.5-2.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने की सम्भावना हैं,जो जनसंख्या और प्रतिव्यक्ति आय में होने वाली वृद्वि पर निर्भर करेगी । सन् 2000 ईस्वी तक कुल खाद्यान्नों की घरेलू आवश्यकता 205 से 208 मिलियन मीटरी टन के बीच होने की सम्भावना हैं । खाद्यान्नों की मांग में होने वाली वृद्वि को पूरा करने के लिए सरकार देश में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्वि करने के लिए विभिन्न फसल उत्पादन उन्मुख कार्यक्रम लागू कर रही हैं । हाल ही में,अनाज पर आधारित फसल उत्पादन की सभी स्कीमों में इसलिए संशोधन किया गया हैं ताकि फसलों के उत्पादन में वृद्वि करने के लिए मस्यक्रम योजना पर आधारित प्रणाली अपनाई जा सके ।

Amendment of Consumer Protection Act

759. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the details of recommendations made by the Consumer Education and Research Centre for amending the Consumer Protection Act;

(b) whether these recommendations are being examined by any working group set up for the purpose; and

(c) if so, the terms and conditions of the working group and the time limit stipulated for the working group to submit its recommendations?